e-mail

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक: न्याय/कोरोना/2020/22648 दिनांक :– 18 अप्रेल, 2020

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 22620 दिनांक 14.04.2020 की निरन्तरता में आदेश के बिन्दू संख्या 03 में आंशिक संशोधन किया जाकर शहर के व्यवसायिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों में **ड़ी–मार्ट, रिलायन्स मार्केट, रिलायन्स स्मार्ट एवं महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर** को शहरवासियों की मांग अनुसार खाद्य सामग्री की **डोर–टू–डोर आपूर्ति हेतु दी गई छूट विभिन्न स्तरों से शिकायतें प्राप्त होने के कारण तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित की जाती हैं।** उक्त प्रतिष्ठान भी भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत **पूर्णतः प्रतिबन्धित होकर बन्द रहेगें** साथ ही इन्हें डोर–टू–डोर आपूर्ति हेतु जारी किये गये **समस्त पास भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।**

मैं, **राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा** जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957** एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं हैं। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण की जानकारी हेतु **भीलवाडा शहर की सम्पूर्ण शहरी सीमा क्षैत्र में** मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश आज **दिनांक 18.04.2020 को दोपहर 12.00 बजे से प्रभावी रहेगा।**

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
03. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
08. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा

............2

10. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
11. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
12. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
13. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला–भीलवाड़ा
14. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
15. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
16. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलो पर लाउड स्पीकर के माध्यम से उक्त आदेश की अक्षरसः पालना हेतु सूचित करायेगें।
17. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
18. सम्बन्धित थानाधिकारी जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित किये जाने हेतु। (द्वारा–जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा)
19. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा